मु.नं.–69 / 2020 GCMS ID-2020/00147 ता.रजु–14.12.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

दीना मीना पुत्र श्री जयलाल मीना, ग्राम नयागांव, पोस्ट–रानीपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–09.02.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 19.01.2021, 25.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली को आवंटित वाहन, दिनांक 25.06.2019 से आवेदन प्राप्ति दिनांक तक वाहन लॉगबुक की प्रति, वाहन हेतु दिये गये पैट्रोल–डीजल के खर्च का विवरण मय रजिस्टर व बिल की प्रति आदि से संबंधित कुल 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को आंशिक सूचना उपलब्ध करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ./2021/14 दिनांक 15.01.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 310 दिनांक 13.07.2020 द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन करने हेतु आमंत्रित किया गया था किन्तु अपीलार्थी के उपस्थित नही आने पर निर्धारित समय सीमा के अंदर पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 384 दिनांक 04.08.2020 द्वारा 08 पृष्ठीय सूचना का शुल्क 16/–रूपये जमा करवाये जाने हेतु लिखा गया था जिसके प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 472 दिनांक 14.09.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दू संख्या 2 की सूचना को अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली व उनके वाहन चालक की जान–माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(छ) के तहत दिये जाने से इंकार कर दिया गया था फिर भी अपीलार्थी के प्रति सद्भावना रखते हुये किसी विशेष दिन की वाहन लॉगबुक की प्रति आवश्यक होने पर सूचना शुल्क जमा करवाते हुये प्राप्त करने हेतु लिखा गया था जिसमें अधोहस्ताक्षरकर्ता की अपीलार्थी के प्रति पूर्ण रूप से सद्भाविक कार्यवाही है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। प्रत्यर्थी ने प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को आंशिक सूचना प्रदान कर दी गई है। प्रत्यर्थी द्वारा शेष सूचना को अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली व उनके वाहन चालक की जान–माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(छ) के तहत दिये जाने से इंकार कर दिया गया था फिर भी किसी विशेष दिवस की सूचना की आवश्यकता होने पर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये जाने हेतु लिखा गया है जो कि सद्भावनापूर्ण कार्यवाही है। अपीलार्थी द्वारा अपीलोत्तर पर भी किसी प्रकार का प्रतिकार पेश नहीं किया गया है और अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा ना तो इस न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया है और ना ही उपस्थित आया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को वाहन लॉगबुक का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करें।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली